

जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के उपयोगार्थ

उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के सुसंगत प्राविधानों के उद्धरण

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गई है। जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को नियमावली के ऐसे प्राविधानों से परिचित होना आवश्यक है जो सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में सहायक सिद्ध हों। इस उद्देश्य से नियमावली के नियम-4, नियम-5 व नियम 7(1) तथा उनसे सम्बन्धित निर्धारित प्रपत्रों के उद्धरण संलग्न है।

उत्तर प्र० सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के सुसंगत प्राविधानों के उद्धरण

- 4- (1) कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन किसी लोक प्राधिकरण से कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित रूप में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करेगा। अनुरोध प्रारूप-2 पर दिये गये रूपविधान में किया जायेगा।

परन्तु सादे कागज पर लिखित सूचना अभिप्राप्त करने हेतु प्रस्तुत अनुरोध एवं साथ में प्रारूप-2 में यथा अपेक्षित समस्त विवरणों को राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा विचारार्थ प्राप्त किया जायेगा।

- (2) अधिनियम के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिये किसी अनुरोध के लिये निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिये:-

(क) मौंगी गयी सूचना सम्बन्धित लोक प्राधिकरण द्वारा रखे गये या उसके नियंत्रणाधीन अभिलेखों का एक भाग होनी चाहिये।

(ख) मांगी गयी सूचना:

(एक) में ऐसे अनुपलब्ध आंकड़ों का नया संग्रह किया जाना अन्तर्वलित नहीं होना चाहिये जिनको उपलब्ध कराना किसी अधिनियम अथवा लोक प्राधिकरण के किसी नियम या विनियम के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है, या

(दो) में विद्यमान आंकड़ों का नये सिरे से निर्वचन या विश्लेषण करने या विद्यमान आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने या धारणा बनाने या परामर्श या राय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, या

(तीन) में कात्यनिक प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना अन्तर्गत नहीं होना चाहिये, या

(चार) में प्रश्न 'क्यों', जिसके माध्यम से किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की माँग की गयी हो, का उत्तर दिया जाना अन्तर्गत नहीं होना चाहिये, या

(पांच) इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिये कि उसके संकलन में संसाधनों का अननुपाती रूप से विचलन अन्तर्गत हो जाने के कारण सम्बन्धित लोक प्राधिकरण की दक्षता प्रभावित हो जाये।

(ग) सूचना प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत अनुरोध में पाँच सौ से अधिक शब्द नहीं होने चाहिये।

- (3) राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध की पावती सम्यक रूप से अभिर्वीकार करेगा और उसके विवरण को उक्त प्रयोजन के लिये प्रारूप-3 में दिये गये रूपविधान में रखी गयी आवेदन पंजी में प्रविष्ट करेगा।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये अनुरोध को शासित करने वाले नियम

- (4) अधिनियम के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के अनुरोध के साथ नियम 5 में विहित शुल्क संलग्न किया जायेगा।
- (5) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी यह पाता है कि सूचना के प्रकटन के लिये किया गया अनुरोध अंशतः या पूर्णतः किसी एक अन्य लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तो ऐसा राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के दिनांक से पांच दिनों के भीतर, अनुरोध को या उसके ऐसे भाग को जो उपयुक्त हो, प्रारूप-4 पर दिये गये रूप विधान में, अन्य लोक प्राधिकरण को अन्तरित कर देगा, तथा नियत अवधि के भीतर वांछित सूचना का वह भाग जो उसके अपने लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है, आवेदक को उपलब्ध करा देगा।
- परन्तु यदि किसी लोक प्राधिकरण से मांगी गयी सूचना, अंशतः या पूर्णतः दो या दो से अधिक अन्य लोक प्राधिकरणों द्वारा धारित है, तो राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिये किये गये अनुरोध को ऐसे अन्य लोक प्राधिकरणों को अन्तरित नहीं किया जायेगा। राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना का केवल वह भाग उपलब्ध करायेगा जो उसके अपने लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है, तथा आवेदक को परामर्श देगा कि वह अन्य सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों, जहाँ वांछित सूचना के अन्य भाग धारित हैं, के राज्य लोक सूचना अधिकारियों के समक्ष अलग अलग सूचना के अनुरोध प्रस्तुत करे।
- (6) सूचना हेतु अनुरोध की प्राप्ति पर राज्य लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के उपबन्धों के अनुसार अनुरोध को निस्तारित करेगा:-
- (क) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि मांगी गयी सूचना दी जानी है, तो वह आवेदक को सूचना प्रारूप-5 में प्रदान करेगा। सूचना दिये जाने के दिनांक को उपरोक्त उप नियम (3) में उल्लिखित पंजी में प्रविष्ट किया जायेगा।
- (ख) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि मांगी गयी सूचना किसी ऐसी अग्रतर फीस के भुगतान पर ही प्रदान की जा सकती है जो नियम 5 में यथाविहित सूचना प्रदान करने की लागत का निरूपण करती हो, तो वह तदनुसार आवेदक को प्रारूप-6 में सूचित करेगा और उसके विवरण को उपरोक्त उप नियम(3) में उल्लिखित पंजी में प्रविष्ट करेगा।
- (ग) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि सूचना के लिये किये गये अनुरोध को अधिनियम तथा /अथवा नियमावली के किसी प्राविधान के तहत अस्वीकार किया जाना है तो वह ऐसी अस्वीकृति को प्रारूप-7 में आवेदक को संसूचित करेगा। अस्वीकृति के दिनांक को उपनियम (3) में उल्लिखित पंजी में प्रविष्ट किया जायेगा।
- (7) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि सूचना का कोई भाग नहीं प्रदान किया जा सकता है क्योंकि उसको प्रकट किये जाने से छूट प्रदान की गयी है, तो राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना के केवल ऐसे भाग तक पहुँच प्राप्त करा सकता है जिसे प्रकट किये जाने से छूट नहीं प्राप्त है, और वह साथ-साथ आवेदक को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के निबन्धनों के अनुसार प्रारूप-8 में नोटिस देगा।

(8) जहाँ राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना प्रकट करने का आशय हो जो किसी व्यक्ति से सम्बन्धित है या उसके द्वारा प्रदान की गयी है और उस पर व्यक्ति द्वारा गोपनीय मानी गयी है, वहाँ राज्य लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार प्रारूप-9 पर दिये गये रूपविधान में ऐसे पर व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा। राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रकटन की बाबत कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के निवेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखेगा।

सूचना अभिप्राप्त करने हेतु फीस और लागत

- 5— (1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा दस रूपये का आवेदन शुल्क संलग्न किया जायेगा।
- (2) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिये लोक प्राधिकरण को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जायेगा:-
- (एक) सूजित या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिये दो रूपये,
 - (दो) बृहत्तर आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य,
 - (तीन) नमूनों या प्रतिदशों के लिये वास्तविक लागत या मूल्य और जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहाँ इस प्रकार नियत किया गया मूल्य,
 - (चार) अभिलेखों के निरीक्षण के लिये प्रथम घण्टे के लिये दस रूपये का शुल्क और तत्पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके आंशिक भाग) के लिये पांच रूपये का शुल्क।
- (3) धारा-7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिये लोक प्राधिकरण को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा शुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जायेगा:-
- (एक) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गयी सूचना के लिये प्रति डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क पचास रूपये और
 - (दो) मुद्रित रूप में प्रदान की गयी सूचना के लिये ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिये दो रूपये प्रतिलिपि का प्रति पृष्ठ।
- (4) मानचित्र और रेखाचित्रों आदि के मामले में श्रम और सामग्री में लगाये जाने में

	<p>अपेक्षित लागत के आधार पर प्रत्येक मामले में शुल्क सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा।</p> <p>(5) उक्त शुल्क की धनराशि निम्न लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा की जायेगी:</p> <p>“0070—अन्य प्रशासनिक सेवाये—60—अन्य सेवाये—800—अन्य प्राप्तियाँ—11—सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ”</p>
--	---

अपीलों का पंजीकरण और निस्तारण	<p>7— (1) कोई व्यक्ति जिसे, यथास्थिति, किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी से विहित समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यविधित है, विहित समय के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया हो। अपील प्रारूप-13 में दिये गये रूपविधान में प्रस्तुत की जायेगी। किसी अपीलकर्ता द्वारा सादे कागज पर लिखित अपील प्रारूप-13 में यथा अपेक्षित समस्त विवरणों के साथ दायर की जा सकती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील का निपटारा अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) और (2) एवं इस नियमावली के अनुसार करेगा।</p>
-------------------------------	--

Rules governing request for obtaining information	<p>4. (1) A person who desires to obtain information under the Act from any public authority shall make a request in writing or through electronic means to the State Public Information Officer of the public authority concerned. The Request shall be made in the format given in Form-2:</p> <p>Provided that a request for obtaining information drafted on plain paper and containing all details as required in Form-2 shall be received for consideration by the State Public Information Officer.</p> <p>(2) Any request for obtaining information under the Act should fulfil the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) The information sought should be a part of the record held by or under the control of the public authority concerned. (b) The information sought should not: <ul style="list-style-type: none"> (i) involve fresh collection of non-available data which is not required to be maintained under any law or the rules or regulations of the public authority; or (ii) require carrying out new interpretation or analysis of existing data, or drawing of inferences, making of assumptions, or providing advice or opinion based on existing data; or (iii) involve providing answers to hypothetical questions; or (iv) involve providing answers to the question 'why', thus asking for reasons why a certain act was done or not done; or (v) be so vast that the collection thereof involves disproportionate diversion of resources affecting efficient operation of the public authority concerned. (c) The request for obtaining information shall not exceed five hundred words. <p>(3) The State Public Information Officer shall duly acknowledge the receipt</p>
---	---

- of the request and shall enter the particulars thereof in the Application Register maintained for the purpose in the format given in Form-3.
- (4) A request for obtaining information under the Act shall be accompanied by the fee prescribed in rule-5.
- (5) If the State Public Information Officer finds that a request made for disclosure of information relates partly or wholly to a single other public authority, then such State Public Information Officer shall, within five days from the date of receipt of the request, transfer the request or such part of it as may be appropriate, to the other public authority in the format given in Form-4, and shall furnish within the time prescribed that part of the information to the applicant, as is available with the public authority to which he belongs:
- Provided that if a part or whole of the information sought from a public authority is held by two or more other public authorities, then the State Public Information Officer shall not transfer the request for information to such other public authorities. The State Public Information Officer shall provide only such information to the applicant as is held by the public authority to which he belongs, and shall advise the applicant to move separate requests for information to the State Public Information Officers of the other public authorities holding parts of the information sought.
- (6) The State Public Information Officer on receipt of a request for information shall dispose off the request in accordance with the provisions of section 7, 8 and 9 of the Act:
- (a) If the State Public Information Officer is of the view that the information sought is to be provided, then he shall convey the information to the applicant in Form-5. The date on which the information is supplied shall be entered in the Register mentioned in sub-rule(3) above.
 - (b) If the State Public Information Officer is of the view that the information sought can only be provided on payment of any further fee representing the cost of providing the information as prescribed in rule 5, then he shall send intimation accordingly to the applicant in form 6 and enter the details in the Register mentioned in sub-rule(3).
 - (c) If the State Public Information Officer is of the view that the request for information is to be rejected on the basis of any provision(s) of the Act and/or the rules, then he shall convey such rejection to the applicant in Form 7. The date of rejection shall be entered in the Register mentioned in sub-rule (3).
- (7) If the State Public Information Officer is of the view that a part of the information sought cannot be provided as it is exempted from disclosure, then the State Public Information Officer may provide the applicant access to only such part of the information which is not exempted from disclosure, and simultaneously give a notice to the applicant in terms of sub-section (2) of section 10 of the Act in Form 8.
- (8) Where the State Public Information Officer intends to disclose any information on a request made under the Act, which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third

	party, the State Public Information Officer shall give a written notice to such third party in accordance with the provisions of section 11 of the Act in the format given in Form 9. The State Public Information Officer shall keep in view the submission, if any, of the third party while taking a decision about the disclosure of information.
--	---

5.	(1) A request for obtaining information under sub-section (1) of section 6 of the Act shall be accompanied by a application fee of rupees ten by way of cash against proper receipt of by demand draft or by Bankers cheque or by India Postal Order payable to the concerned public authority. (2) For Providing information under sub-section (1) of the section 7 of the Act, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or by Bankers cheque or by India Postal Order payable to the public authority at the following rates: (i) Rupees two for each page (in A-4 or A-3 size paper) created or copied; (ii) Actual charge or cost price of a copy in large size paper; (iii) Actual cost or price for sample or models, and where the information is available in form of priced publication, price so fixed; (iv) For inspection of records, a fee of rupee ten for the first hour, and fee of rupee five for each fifteen minutes (or fraction thereof thereafter) (3) For providing the information under sub-section (5) of section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft of Bankers cheque or Indian Postal Order payable to the public authority at the following rates: (i) For information provided in diskette or floppy or compact disk rupees fifty per diskette or floppy or compact disk, and (ii) For information provided in printed form at the price fixed for such publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication. (4) In the case of maps and plans etc. the fee shall be fixed by the concerned State Public Information Officer in each case depending upon the cost of labour and material required to be employed. (5) The amount of fee shall be deposited in the following head of account: "0070-Other Administrative Service - 60-Other Services- 800-Other receipts-11-Receipts under Right to Information Act, 2005".	Fee and Costs for obtaining information
----	---	---

Registration and disposal of appeals	7. (1) Any person who does not receive a decision from a State Public Information Officer within the prescribed time, or is aggrieved by a decision of a State Public Information Officer, as the case may be, may within the prescribed time, prefer an appeal to such officer who is designated as the First Appellate Authority. The appeal shall be submitted in the format given in Form 13. An appellant may file an appeal drafted on plain paper containing all details as required in Form 13. The First Appellate Authority shall dispose off the appeal in accordance with sub-section (1) and (2) of section 19 of the Act and Rules.
--------------------------------------	---

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के
लिए अनुरोध

सेवा में,

राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और कार्यालय का पता

1. आवेदक का पूरा नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. पता.....
4. ई-मेल पता, यदि कोई हो.....
5. दूरभाष संख्या और/या मोबाइल संख्या.....
6. माँगी गयी सूचना का ब्यौरा (यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ भी संलग्न करें).....
7. क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बंधित है : हाँ/नहीं
यदि 'हाँ' तो उसका कारण.....
8. जमा की गयी फीस का ब्यौरा.....
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) की श्रेणी का है ? हाँ/नहीं
(यदि हाँ तो बी.पी.एल प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. संलग्नकों की सूची.....

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पावती

श्री..... निवासी..... से

दिनांक..... को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना की माँग हेतु आवेदन पत्र जो क्रमांक..... पर पंजीकृत है, प्राप्त किया ।

दिनांक.....

राज्य लोक सूचना अधिकारी का

हस्ताक्षर और पूरानाम

प्राधिकारिक मुद्रा

आरटीआई आवेदन पत्र रजिस्टर

क्रम संख्या	आवेदन का दिनांक	आवेदक का नाम और पता	यदि आवेदन किसी अन्य लोक प्राधिकरण से सम्बंधित है		यदि अतिरिक्त फीस अपेक्षित हो		अनुरोध की गयी सूचना या अस्वीकृति आदेश प्रेषित करने का दिनांक	अभ्युक्ति
			राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और पता जिसे आवेदन अन्तरित किया गया	अन्तरण का दिनांक	अतिरिक्त फीस की धनराशि	आवेदक को अतिरिक्त फीस की सूचना का दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10

किसी अन्य लोक प्राधिकरण को आरटीआई आवेदन का स्थानान्तरण

सेवा में

.....
.....
.....

(उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और
पता जिसको आवेदन स्थानान्तरित किया जा रहा है)

महोदय,

कृपया श्री..... (आवेदक का नाम और पता)
 का संलग्न आवेदन, दिनांक..... (पंजीकरण संख्या.....) जिसके द्वारा
 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना मांगी जा रही है,
 प्राप्त करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त आवेदन आपको स्थानान्तरित किया जा रहा है क्योंकि मांगी गयी सूचना के
 क्रमांक की विषय-वस्तु आपके विभाग/कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने उक्त अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने
 के लिए रूपये (..... रूपये मात्र) फीस/के रूप में भुगतान किया है जिसे
 सरकारी कोषागार/ लेखा में जमा कर दिया गया है।

भवदीय

(.....)

दिनांक:

राज्य लोक सूचना अधिकारी

विभाग/कार्यालय का नाम और पता

टेलीफोन न0.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

(आवेदक का नाम और पता)

चूंकि आप के उपरोक्त आवेदन में वांछित सूचना कमांक इस विभाग / कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं पड़ती है अतः उसे क्षेत्राधिकार से सम्बंधित लोक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर दिया गया है। अनुरोध है कि आप ऊपर उल्लिखित राज्य लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क करें।

()

राज्य लोक सूचना अधिकारी

विभाग / कार्यालय का नाम और पता

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मांगी गयी
सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रारूप

पत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रेषक,

.....
.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
का पदनाम, पता ओर दूरभाष संख्या)

सेवा में,

.....
.....
.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के
अधीन सूचना मांगने वाले आवेदक का नाम और पता)

महोदय / महोदया,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के
सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक पर पंजीकृत अपने आवेदन
दिनांक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आप द्वारा मांगी गयी सूचना दी जाती है, जो निम्नवत है :

.....
.....
.....

(यदि उपर्युक्त स्थान अपर्याप्त हो तो पृथक पृष्ठ संलग्न किये जा सकते हैं)

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सम्बंधित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या

.....
.....
.....

भवदीय,

.....
.....

सूचना उपलब्ध कराये जाने की लागत हेतु अतिरिक्त फीस का मांगपत्र

पत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रेषक,

.....
.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या)

सेवा में,

.....
.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना मांगने वाले आवेदक का नाम और पता)

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक.....पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक.....का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 के अपबन्धों के अनुसार आप से अनुरोध है कि आप सूचना उपलब्ध कराये जाने की लागत के रूप में रु0.....(रुपये.....केवल) की अतिरिक्त फीस नीचे दी गयी गणना के अनुसार जमा कर दें:

.....
.....
.....

उपर्युक्त फीस निम्न अधिकारी को संदेय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जमा की जा सकती है :

यदि आपको इस मांग के विरुद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं जिनका पता निम्नवत है:

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या

भवदीय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गयी सूचना
के अनुरोध को नामंजूर किये जाने की सूचना

पत्र संख्या..... दिनांक.....
प्रेषक,

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या)

सेवा में,
.....
.....
.....

महोदय / महोदया,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक..... पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक..... का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको खेद के साथ सूचित किया जाता है कि आप द्वारा मांगी गयी सूचना नीचे उल्लिखित कारण/कारणों से उपलब्ध नहीं करायी जा सकती :

.....
.....
.....
यदि आप उपर्युक्त विनिश्चय से क्षुब्ध हैं तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता तथा दूरभाष संख्या
.....
.....

भवदीय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 10(2) के अधीन नोटिस

पत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रेषक,

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या)

सेवा में,

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना मांगने वाले आवेदक का नाम और पता)

महोदय / महोदया,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक..... पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक..... का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा मांगी गयी सूचना का निम्न भाग प्रकट किये जाने से छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आता है :

तदनुसार हमने आपको सूचना के केवल उसी भाग को पृथक रूप से उपलब्ध कराया है जो प्रकटन से छूट-प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त विनिश्चय का कारण निम्नवत् है :

.....
.....

यदि आपको इस विनिश्चय के विरुद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतरप्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :-

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या :

.....
.....

भवदीय,

.....
.....

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11(1) के अधीन पर व्यक्ति को नोटिस पत्र संख्या.....
दिनांक.....

प्रेषक,

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या)

सेवा में,

(पर व्यक्ति का नाम व पता)

महोदय / महोदया,

चूँकि श्री / श्रीमती....., निवासी....., ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक..... को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा आपसे सम्बंधित/आप द्वारा उपलब्ध कराई गयी निम्नलिखित सूचना/अभिलेख की मांग की गयी है :—

और चूँकि अधोहस्ताक्षरी का आशय उपर्युक्त सूचना/अभिलेख या उसके भाग को आवेदक को प्रकट करने का है;

अतएव, अब, एतद्वारा आपसे इस बिन्दु पर लिखित या मौखिक निवेदन करने की अपेक्षा की जाती है कि उक्त सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं।
उक्त प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध आप द्वारा निवेदन या अभ्यावेदन इस नोटिस की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर किया जायेगा, व ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बिना किसी अग्रतर सूचना के मामले में विनिश्चय कर देगा।

यदि आपको इस विनिश्चय के विरुद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं जिनका पता निम्नवत् है :—

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या:

.....
.....
.....

भवदीय,

.....
.....
.....

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपील सेवा में,

(प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यरत
अधिकारी का पदनाम और पता)

क : अपीलार्थी से सम्पर्क हेतु आवश्यक विवरण :

1—अपीलार्थी का नाम	
2—डाक का पता, सेल-फोन नम्बर और ई-मेल पता (यदि कोई हो)	

ख : शिकायत का विवरण :

1—उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण, जिसके अपील की गयी है	नाम (यदि उपलब्ध हो)
	पदनाम
	पता
2—राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने का दिनांक (राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत अनुरोध की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए)	
3—अपील के आधार (यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जाए तो ऐसे आदेश की एक प्रति अवश्य फाइल की जाए)
4—प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष	(यदि उपर्युक्त स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक पृष्ठ लगायें)
5—यदि अपील विहित अवधि के पश्चात फाइल की जा रही हो तो विलम्ब का कारण
6—उन दस्तावेजों की सूची जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और जिन पर वह निर्भर हो।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Request for obtaining information u/s 6(1) of RTI Act, 2005

To:

State Public Information Officer's Designation and Official Address

.....
.....
.....

1. Full Name of the applicant
2.
3. Father's / Spouse's Name.....
4.
3. Address.....
.....
.....
4. Email address, if any.....
5.
6. Telephone No. and/or Mobile No.
7.
6. Details of information sought (if necessary, attach separate page):
.....
.....
.....
7. Does the information sought concern the life and liberty of a person: Yes/No
If yes, the reasons therefor.....
.....
.....
8. Details of fee deposited.....

9. Does the applicant belong to BPL category: Yes/No

(If yes, attach BPL certificate)

List of enclosures

10.

Place.....

Date.....

Full Signature of the applicant

Acknowledgement

Received the application from.....

Address.....

on.....

(date) seeking information u/s 6(1) of RTI Act, 2005, registered at serial no.....

Date.....

Signature and full name of SPIO
Official seal

RTI Application Register

S.No	Date of Application	Name and address of applicant	In case application relates to another public authority		If additional fee required			Date on which requested information or rejection order sent	Remark
			Designation and Address of SPIO to whom transferred	Date of transfer	Amount of additional fee	Date of intimation of additional fee to applicant	Date of receipt of additional fee		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Transfer of RTI application to another public authority

To:

.....
.....
.....
.....

(Designation and address of SPIO to whom application is being transferred)

Sir,

Please find enclosed herewith an application from.....

.....

dated..... (Name and address of applicant)
 (Regn. No.....), seeking information u/s 6(1) of RTI Act, 2005.

The aforesaid application is being transferred to you because the subject matter of serial no..... of the information sought falls within the jurisdiction of your department/office.

It is certified that the applicant has paid Rs..... (Rupees.....only) on account of fees for obtaining information under the Act, which has been deposited in the Government treasury / account.

Yours faithfully

Date:

()

State Public Information Officer
 Name and address of the Department /Office
 Telephone No.

Copy to:

.....
.....
.....

(Name and address of applicant)

As the information at Serial No..... sought in your aforesaid application does not fall within the jurisdiction of this Department/Office, it has been transferred to the State Public Information Officer of the public authority having jurisdiction. You are requested to contact the State Public Information Officer mentioned above.

()

State Public Information Officer
 Name and address of the Department /Office

Intimation regarding provision of information sought under RTI Act, 2005

Letter No:-.....

Dated:-.....

From:

行

(Designation, address and phone no. of SPIO providing the information under RTI Act, 2005)

To:

(Name and address of applicant seeking the information under RTI Act, 2005)

Sir /Madam,

Please refer to your application dated, registered at serial no....., addressed to the undersigned regarding supply of information under section 6(1) of the RTI Act, 2005.

The information sought by you is given below:

(If above space is inadequate, separate pages may be attached.)

If you are not satisfied with the answer you may file an appeal under Section 19(1) of the Act within thirty days of the receipt of this letter to the First Appellate Authority whose address is given below:

Designation, address and phone no. of First Appellate Authority
.....

Yours faithfully,

Intimation regarding additional fee representing cost of providing information

Letter No:-

Dated:-

From:

(Designation, address and phone no. of SPIO providing the information under RTI Act, 2005)

To:

(Name and address of applicant seeking the information under RTI Act, 2005)

Sir,

Please refer to your application dated registered at serial no....., addressed to the undersigned regarding supply of information under section 6(1) of the RTI Act, 2005.

In accordance with the provisions of the U.P. Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2006, you are requested to deposit additional fee of Rs..... (Rupees.....), representing the cost of providing the information as per calculations given below:

The above fee may be deposited in the form of postal order/demand draft/banker's cheque payable to.....

If you have any objection against this demand you may file an appeal under Section 19(1) of the Act within thirty days of the receipt of this letter to the First Appellate Authority whose address is given below:

Designation, address and phone no. of First Appellate Authority

Yours faithfully,

Intimation of rejection of request for information sought under RTI Act, 2005

Letter No:-

Dated:-

From:

.....
.....
.....
.....

(Designation, address and phone no. of SPIO
providing the information under RTI Act, 2005)

To:

.....
.....
.....
.....

(Name and address of applicant seeking
the information under RTI Act, 2005)

Sir /Madam,

Please refer to your application dated, registered at serial no....., addressed to the undersigned regarding supply of information under section 6(1) of the RTI Act, 2005.

The undersigned regrets to inform you that the information sought by you cannot be provided for the reason(s) given below:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

If you are aggrieved by the above, you may file an appeal under Section 19(1) of the Act within thirty days of the receipt of this letter to the First Appellate Authority whose address is given below:

Designation, address and phone no. of First Appellate Authority

.....
.....
.....

Yours faithfully,

.....
.....

Notice under section 10(2) of the RTI Act, 2005

Letter No:-.....

Dated:.....

From:

.....
.....
.....

(Designation, address and phone no. of SPIO
providing the information under RTI Act, 2005)

To:

.....
.....
.....

(Name and address of applicant seeking
the information under RTI Act, 2005)

Sir /Madam,

Please refer to your application dated, registered at serial no....., addressed to the
undersigned regarding supply of information under section 6(1) of the RTI Act, 2005.

In this regard I have to inform you that the following part of the information sought by you is exempt from
disclosure:
.....

Accordingly, we have separately provided to you only the remaining part of the information which is not exempt
from disclosure.

Please note that the reasons for the above decision are as follows:
.....
.....

If you have any objection against this decision you may file an appeal under Section 19(1) of the Act within thirty
days of the receipt of this letter to the First Appellate Authority whose address is given below:

Designation, address and phone no. of First Appellate Authority
.....
.....

Yours faithfully,

Notice to third party under section 11(1) of the RTI Act, 2005

Letter No:-.....

Dated:-.....

From:

.....
.....
.....

(Designation, address and phone no. of SPIO
providing the information under RTI Act, 2005)

To:

.....
.....
.....

(Name and address of third party)

Sir/Madam,

Whereas Sri/Smt _____ resident of _____ has filed an application
on _____ with the undersigned under the Right to Information Act, 2005 seeking the following
information/record relating to/supplied by you:

.....
.....
.....

And whereas the undersigned intends to disclose the above information/record or part thereof to the applicant.

Now, therefore, you are hereby called upon to make your submissions in writing or orally, as per section 11 of
the Act, as to whether the information/record asked for by the applicant should be disclosed or not.

The submissions or representation against the proposed disclosure should be made by you within ten days from
the receipt of this notice, failing which the undersigned will take a decision in the matter in accordance with the
provisions of the Act, without giving any further notice.

If you have any objection against this decision you may file an appeal under Section 19(1) of the Act within thirty
days to the First Appellate Authority whose address is given below:

Designation, address and phone no. of First Appellate Authority

.....
.....

Yours faithfully,

.....
.....

First Appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005

Dated:.....

To:

(Designation and address of the officer
acting as First Appellate Authority)**A. Appellant's contact details:**

1. Name of the Appellant	
2. Postal Address, cell-phone no and E-mail address (if any)	

B. Details about the appeal:

1. Particulars of the SPIO against whom appeal is preferred.	Name (if available)	
	Designation	
	Address	
2. Date of submission of request for information before SPIO (A copy of the request for information submitted to the SPIO must be attached.)		
3. Grounds of appeal (In case appeal is filed against an order of the SPIO, then a copy of such order must be filed.) (If above space is inadequate, then separate page(s) may be added.)	
4. Prayer or relief sought. 	
5. If appeal is being filed after the prescribed period, then what is the reason for delay? 	
6. List of copies of documents relied upon and submitted by the appellant.		

Signature of the Appellant.....